



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 80929360c0ad68bec2ee

Receipt Date : 05-Jun-2021 12:48:35 pm

Receipt Amount : 50/-

Amount In Words : Fifty Rupees Only

Document Type : Agreement or Memorandum of an Agreement

District Name : Dhanbad

Stamp Duty Paid By : SIGNATURE BUILD COM

Purpose of stamp duty paid : DEVELOPMENT AGREEMENT

First Party Name : MANOJ KUMAR SINGH AND LACHIYA DEVI

Second Party Name : SIGNATURE BUILD COM

GRN Number : 2105857764

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-

Gautam Singh

मनोज कुमार सिंह

मनोज कुमार सिंह

Rajesh Kumar Mandel

L.T.I. (लक्ष्मी देवी)
सेरे साधने दीप दिवा



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

डेवलपमेन्ट एकरारनामा

यह डेवलपमेन्ट एकरारनामा आज दिनांक-..... दिन
..... को इस प्रकार सम्पन्न हुआ।

लेख्यकारों का नाम एवं पूरा पता:- 1) श्रीमती लखिया देवी, पति- श्री
रामायण सिंह, 2) श्री मनोज कुमार सिंह, पिता- श्री रामायण सिंह, दोनों के जाति-
यादव, दोनों के साकिम- धनबाद, जिला- धनबाद, झारखण्ड,
..... प्रथम पक्ष

ए व म्

लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता:- सिग्नेचर बिल्ड कॉम फर्म का
कार्यालय - कुसुम विहार, थाना - सरायढेला, जिला - धनबाद के पार्टनर 1) श्री गौतम
सिंह, पिता - स्व० नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह, जाति- राजपूत, पेशा- व्यवसाय, साकिम
- एलआईजी - 333 हाउसिंग कॉलोनी, धनबाद (झारखण्ड), 2) श्री राजेश कुमार
मंडल, पिता- श्री प्रभाष मंडल, जाति- सूड़ी, पेशा- व्यवसाय, साकिम- कुसुमविहार,
पो०- कोयलानगर थाना- सरायढेला, धनबाद (झारखण्ड),

Signature Build Com.

Gautam Singh
Partner

..... द्वितीय पक्ष

Signature Build Com.

Rajesh Kumar Mandal
Partner



मनोज कुमार सिंह

L.T.I. (लखिया देवी)

मेरे सामने हीप दिया

मनोज कुमार सिंह

लेख्य प्रकार :- आवासीय बहुमंजिला अपार्टमेन्ट बनाने हेतु डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट ।

सम्पत्ति का विवरण :- मौजा- धैया, पुराना खाता नं०- 156, 120, पुराना प्लॉट - 3808, 3809, 3810, रकवा - 5 कट्ठा जमीन ।

जिसका चौहद्दी :-

पूरब :- चिंता देवी,

पश्चिम :- इसी प्लॉट का अंश,

उत्तर :- रास्ता ,

दक्षिण :- प्लॉट नं०- 3801 ,

उपर्युक्त जमीन का एकरार कर रहे हैं:-

1. यह कि, प्रथम पक्ष लेखेदारी 01, 02 के सिडुल की वर्णित भूमि मौजा- धैया, पुराना खाता नं०- 156, 120, पुराना प्लॉट - 3808, 3809, 3810, रकवा- 5 कट्ठा जमीन आवासीय बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने हेतु डेवलपमेन्ट एग्रीमेंट किया यह जमीन विगत सर्वे मे लेखेदारी (जमीन मालिक) के निज नाम से दलील मे दर्ज है ।
2. यह कि, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष का विकसित करने हेतु जो भूमि दे रहे है उसका नक्शा लाल रंगू से चिन्हित किया हुआ संलग्न है ।
3. यह कि, यह भी विदित हो कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर आवासीय बहुमंजिला अपार्टमेन्ट बनाने की इच्छा रखते हैं और द्वितीय पक्ष बहुमंजिला भवन बनाने का व्यवसाय करते हैं तथा द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से सम्पर्क कर उक्त जमीन पर आवासीय एवं व्यवसायिक बहुमंजिला अपार्टमेन्ट बनाने की इच्छा जताई तथा दोनों

Signature Build Com.

Gautam Singh
Partner

Signature Build Com.

Rajesh Kumar Mandle
Partner



मनोज कुमार सिंह

L.T.I. (लक्ष्मिा देवी)

मेरे सामने हीप दिया

मनोज कुमार सिंह

पक्ष निम्नलिखित शर्तों पर आवासीय एवं बहुमंजिला अपार्टमेन्ट बनाने को तैयार हुए ।

4. यह कि, द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर आवासीय बहुमंजिला अपार्टमेन्ट बनाने हेतु सक्षम कार्यालय से नक्शा पास करायेंगे नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य करेंगे और उससे संबंधित सभी प्रकार के आवश्यक सेवाएं लेंगे तथा उक्त भूमि से संबंधित कोई भी कार्य की आवश्यकता पड़ेगी तो द्वितीय पक्ष करेंगे । जब तक उक्त जमीन का नक्शा पास नहीं होगा तक जमीन पर अपार्टमेन्ट बनाने से संबंधित कोई कार्य नहीं होगा ।
5. यह कि, प्रथम पक्ष भूमि के एवज में निर्मित आवासीय एवं बहुमंजिला अपार्टमेन्ट का 40 प्रतिशत बिल्ड- अप एरिया के मालिक बनेंगे तथा द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के एवज में 60 प्रतिशत एरिया के मालिक बनेंगे , तथा भूमि मालिक को बहुमंजिला इमारत में प्रत्येक तल्ले में 40 प्रतिशत भाग का सभी प्रकार के निर्मित फ्लैट में भूमि मालिक को दिया जाएगा , तथा पार्किंग में भी भूमि मालिक को सभी तरह का पार्किंग 40 प्रतिशत के हिसाब से प्राप्त होगा ।
6. यह कि, द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से एकरारनामा होने के साथ - साथ उक्त जमीन का रजिस्टर्ड पावर ले लेंगे तथा तथा प्रथम पक्ष रेजिस्टर्ड पावर को (यदि पारा- 4 की शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य आरंभ किया जाता है और अगले पाँच वर्षों प्रथम पक्ष के किसी कार्य या गलती के बिना द्वितीय पक्ष कार्य पूर्ण नहीं करता है तो) यह अधिकार होगा कि वो इस एकरारनामा को रद्द कर सकेगा ।
7. यह है कि उक्त पारा- 6 के अनुसार यदि एकरारनामा रद्द होता है तो उक्त जमीन तथा बने हुए ढांचे या बहुमंजिला इमारत का अलग-अलग स्वतंत्र एजेन्सियो द्वारा मूल्यांकन (valuation) कराया जायेगा । इस कार्य के लिए प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष दोनों अपने हिसाब से स्वतंत्र एजेन्सियो को नामित कर सकेंगे तथा द्वितीय पक्ष द्वारा सभी प्रकार के नुकसान तथा बाजार दर पर सूद समेत पूर्ण मुआबजा प्रथम पक्ष को दिया जाएगा ।

Signature Build Com.

Gautam Singh

Partner

Signature Build Com.

Rohit Kumar Meher

Partner

मनोज कुमार सिंह

L.T.I. (लक्ष्मि देवी) मेरे सागने
वीप सिंघा मनोज कुमार सिंह

8. यह कि पारा - 6 के अलावा अन्य किसी प्रकार का दोनों पक्षों में विवाद होगा तो दोनों पक्ष अपने अपने आर्बीरेटर द्वारा समस्या को सुलझाएंगे ।
9. यह कि, द्वितीय पक्ष आवासीय बहुमंजिला अपार्टमेंट के निर्माण के क्रम में अपने हिस्से के प्लैट्स एवं गाड़ी रखने की जगह यानि 60 प्रतिशत निर्मित आवासीय बहुमंजिला अपार्टमेंट को विक्री हेतु एकरार करेंगे, विक्रय करेंगे तथा पूर्ण पैसा प्राप्त करेंगे, जिस पर द्वितीय पक्ष का भुखण्ड पर मालिकाना हक एवं पूर्ण अधिकार तथा दखल - कब्जा हो जायेगा और वे जिस तरह चाहे उस तरह अपना उपयोग करेंगे या किसी दूसरे से हस्तांतरण करने हेतु स्वतंत्र होंगे । तथा प्रथम पक्ष आवासीय बहुमंजिला अपार्टमेंट के निर्माण के पश्चात अपने हिस्से के प्लैट्स एवं गाड़ी रखने की जगह यानि 40 प्रतिशत निर्मित आवासीय बहुमंजिला अपार्टमेंट को बिक्री करने हेतु एकरार करेंगे, विक्रय करेंगे तथा पूर्ण पैसा प्राप्त करेंगे तथा दोनों पक्ष किसी प्रकार की आपत्ति इसमें नहीं करेंगे । यदि ऐसा करेंगे तो वो कानूनन गलत एवं नाजायज होगा
10. यह कि आवासीय बहुमंजिला अपार्टमेंट का नक्शा (नगर निगम धनबाद) से पास होने के बाद उसके अनुसार द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य शुरू करने के दो साल छह महीना यानि (30) माह के अन्दर (जरूरत पड़ने पर छ : माह की अवधि बढ़ाई जायेगी) उक्त समय पर निर्माण कार्य हर - हाल में पूरा करने के लिए द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होंगे यदि उपरोक्त कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा 30 माह अर्थात दो वर्ष छह माह में पूर्ण नहीं करता (जरूरत पड़ने पर छह माह की अवधि बढ़ाई जा सकती है) जो द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को मुआबजे स्वरूप प्रतिमाह रेटा के नियमानुसार 18% वार्षिक या 5 रुपया प्रति वर्गफीट वार्षिक (प्रथम पक्ष के हिस्से अर्थात 40% का) के दर से राशि प्रदान तब तक करेगा जब तक द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को बन रही बहुमंजिला इमारत की 40% हिस्सेदारी पूर्णरूपेण से नहीं सौंप देता ।
11. यह की पारा-10 में वर्णित वैसी स्थिति में लागू नहीं होगी यदि निर्माण कार्य किसी ऐसी घटना के कारण रुका हो जिस पर डेवलपर का कोई अधिकार ही ना हो जैसे:-

* किसी तरह की प्राकृतिक आपदा

Signature Build Com.

Gautam Singh
Partner
Signature Build Com.
Roem Kumar Handu
Partner



मनोज कुमार सिंह

L.T.I. (एशिया देवी) मेरे सामने दीप
दिवा मनोज कुमार सिंह

* दंगा या बलवा या लॉक डाउन की स्थिति

* वैसा सरकारी आदेश जिसमें यह स्पष्ट दर्शाया या लिखा हो कि पूरे जिले या राज्य में कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं होगा वैसा कोई भी सरकारी आदेश मायने नहीं होगा जो जितिया पक्ष कि किसी गलती के कारण दिया गया हो साथ ही पारा-11 के खंड- (i) और (ii) में दिए गए बिंदु के कारण कार्य में बाधा होती है तो प्रथम पक्ष मुआवजा का हकदार नहीं होगा यदि पारा के खंड- (iii) में दिए गए बिंदु में यह पाया जाता है कि द्वितीय पक्ष की किसी गलती के कारण ऐसा आदेश पारित हुआ है तो प्रथम पक्ष मुआवजा पाने का पूर्ण अधिकार रखता है ।

12. यह कि एकरारनामा के बाद जमीन संबंधी किसी प्रकार का अड़चन आता है तो उस अड़चन को खत्म करने की जिम्मेवारी प्रथम पक्ष की होगी , एवं जमीन पर काम करने में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो उस परेशानी को खत्म करने की जिम्मेवारी प्रथम पक्ष की होगी ।

यह कि प्रथम पक्ष , द्वितीय पक्ष को / निम्न कागजात मुहैया करायेंगे :-

क. स्वामित्व के कागज की सच्ची प्रतिलिपि

ख. मालगुजारी का अद्यतन भुगतान रसीद

ग. दाखिल खारिज का अंचलाधिकारी से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि की सच्ची प्रतिलिपि प्रतिलिपि दाखिल खारिज का अंचलाधिकारी से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि सच्ची प्रतिलिपि एवं आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकार का कागजात जरूरत पड़ने पर प्रथम पक्ष मुहैया करायेंगे

13. यह कि प्रथम पक्ष भुखण्ड संबंधी अन्य कागजातों का सच्ची प्रतिलिपि उपलब्ध कराने में मदद करेंगे तथा भूमि की नापी कराकर शांतिपूर्व कब्जा दे देंगे ।

14. यह कि भवन निर्माण में किसी तरह का जो खर्च होगा उसका हिसाब- किताब लेने देने से किसी प्रकार का कोई प्रथम पक्ष को या उसके वारिसान या उसके उतराधिकारियों को नहीं होगा ।

Signature

Gautam Singh

Partner

Signature Build Com.

Raam Kumar Mandel

Partner



मनोज कुमार सिंह

L.T.I. (लालिमा देवी) मेरे सामने

दीप दिवा

मनोज कुमार सिंह

15. यह कि, प्रथम पक्ष एकरारनामा मे वर्णित भूमि को बिल्डिंग निर्माण के लिए इस बात का दावा करते है उक्त भूमि सभी प्रकार के ऋण भार से मुक्त है इसमें किसी प्रकार का वाद-विवाद नहीं है और न ही कोई बिक्री हुआ है अगर भूमि मे किसी प्रकार का विवाद होता है तो इसकी पूर्ण जबाबदेही प्रथम पक्ष कि होगी तथा इसे मुक्त करने कि जिम्मेवारी प्रथम पक्ष की होगी ।
16. यह कि प्रथम प्रक्ष, द्वितीय पक्ष को यह भी अधिकार देते हैं कि उक्त भूमि पर अपार्टमेन्ट का नक्शा बनाकर धनबाद नगर निगम धनबाद के कार्यालय वो अन्य जहाँ आवश्यक हो पास करवायें ।
17. यह कि, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को यह भी अधिकार देते हैं कि द्वितीय पक्ष अपने हिस्से का फ्लैट या पार्किंग किसी व्यक्ति अथवा संस्था को बेच / निबंधित कर सकते हैं ।
18. यह कि बिल्डिंग पूर्ण होने के बाद राथा हस्तांतरण होने पर प्रथम पक्ष भी फ्लैट ऑनर संगठन के सदस्य बनेंगे तथा जो भी रख - रखाव पर खर्च होगा अपना हिस्सा का खर्च समिति को देंगे तथा साथ - साथ समिति के नियम का पालन करेंगे ।
19. यह कि, प्रथम पक्ष अपने हिस्से का फ्लैट बेचते या रखते है तो जेनेरेटर, ट्रांसफर्मर और इलेक्ट्रिक सिटी (कनेक्शन) का पैसा द्वितीय पक्ष को देना होगा परन्तु प्रथम पक्ष को बिजली का बिल देना अनिवार्य होगा ।
20. यह कि , द्वितीय पक्ष द्वारा कॉमन उपयोग के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम व जेनेरेटर इत्यादि का उपयोग प्रथम पक्षगण भी करेंगे । बहुमंजिला इमारत बनाने के क्रम में ही दोनों पक्ष अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति या फर्म को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होगा ।
21. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को एक पावर ऑफ एटॉनी देंगे जिसके आधार पर द्वितीय पक्ष सभी कागजों जैसे नक्शे पास कराना , बिजली कनेक्शन , वाटर सप्लाई एक अपने हिस्से यानी 60 प्रतिशत फ्लैट का रजिस्ट्री का हक 50%

Signature Build Com.

Gautam Singh
Partner
Signature Build Com.
Rajm Kumar Mandel
Partner



मनोज कुमार सिंह
L.T.I. (ललिता देवी) मेरे सामने दीप
दिया।
मनोज कुमार सिंह

कार्य पूर्ण करने के बाद ही होगा। जसमें प्रथम पक्ष एवं उनके वारिस का कोई आपत्ति नहीं होगी ।

22. यह कि, अगर अपने 60% हिस्से में कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे तीसरे या अन्य पक्ष से विवाद होता है तो ऐसी परिस्थिति में द्वितीय पक्ष के उक्त कार्य से प्रथम पक्ष से कोई सरोकार नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार के कानूनी कार्य का पक्षकार प्रथम पक्ष नहीं होगा
23. यह कि, प्रथम पक्ष तथा उसके वारिस प्रस्तावित भवन के निर्माण में किसी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं करेंगे और न ही किसी प्रकार का रुकावट करेंगे, परंतु किये जा रहे कार्य की सरकार के नियमानुसार समय - समय पर प्रथम पक्ष देख - रेख कर सकेंगे, बर्तते लिखे नियम व शर्तों के विरुद्ध न हो । डेवलपर को अपना ठीकेदार और अन्य कारीगर, वर्कर आदि बहाल करने तथा उनसे काम करवाने का पूर्ण अधिकार होगा । डेवलपर को किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से ईट, लोहा सिमेंट और अन्य कंट्रोलि मेटेरियल खरीदने तथा उसका कोट लेने का पूर्ण अधिकार होगा । डेवलपर को निर्माण कार्य संबंधित किसी संवैधानिक संस्था द्वारा जारी जोखिम लेने का अधिकार होगा तथा इसका जवाब और अन्य कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा ।
24. यह कि, द्वितीय पक्ष को विज्ञापन देने तथा आवासीय निर्मित निर्माणधीन फ्लैट बुक कराने एवं अपने बने हुए (यानि 60 प्रतिशत हिस्से को बेचने का पूर्ण अधिकार होगा । दोनों पक्षों के बंटवारे के पश्चात डेवलपर एवं इसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति विक्रय - पत्र (सेल डीड) का निष्पादन करेंगे ।
25. यह कि, डेवलपर इस प्रस्तावित निर्माण से संबंधित सभी नफा एवं नुकसान का स्वयं भागी होगा ।
26. यह कि , प्रथम पक्ष आवश्यकतानुसार डेवलपर के आग्रह पर भवन निर्माण सम्बन्धित सभी प्रकार के आवेदन शपथ पत्र पर दस्तखत करेंगे ।

Signature Build Com.

Gautam Singh

Partner

Signature Build Com.

Rohini Kumari

Partner



सनोज कुमार सिंह

L.T.I. (लक्ष्मी देवी) मेरेलात्ते डीप

विज्ञा

सनोज कुमार सिंह

27. यह कि, भवन निर्माण में प्रथम पक्ष के सदस्यों एवं उनके वारिसानों के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति निर्माण के समय करते हैं तो वह अवैध मानी जायेगी एवं द्वितीय पक्ष सभी कार्य सहित मुआवजा के अधिकारी होंगे परंतु द्वितीय पक्ष द्वारा किए गए किसी अवैध कार्य के कारण उपरोक्त विवाद उत्पन्न होता है तो पारा-6 को ध्यान में रखते हुए कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी ।
28. यह कि, समयानुसार या नियम कानून के अनुसार निर्माणाधीन भवन में किसी तरह का फेर बदल करना पड़े तो भवन निर्माता यानि द्वितीय पक्ष फेर बदल करेंगे लेकिन द्वितीय पक्ष सरकार और धनबाद नगर निगम द्वारा पास किए गए नक्शे में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा कुछ करता है तो और भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होती है तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा बाजार से सूद समेत पूर्ण मुआवजा देय होगा ।
29. यह कि , द्वितीय पक्ष स्वयं का किसी अन्य ठीकेदार या पेट्री कांटेक्ट से भवन निर्माण करा सकते हैं । निर्माण के समय अभियंता या अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति या प्रोन्नति या हटाने का पूर्ण अधिकार सिर्फ द्वितीय पक्ष को ही रहेगा। उसी प्रकार द्वितीय पक्ष सुविधा अनुसार अभियंता, आर्किटेक्ट, सर्वेयर बहाल कर सकते हैं ।
30. यह कि, भवन निर्माण के समय जो ईटा, बालू, गिटी, लोहा, सीमेन्ट, मार्बल, ग्रेनाईट पत्थर यानि भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्री अच्छी क्वालिटी का खरीदेगें और उसकी कीमत अदा करने की पूरी जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी ।
31. यह कि, प्रथम पक्ष भूमि मालिक को विकसित भवन के लिए नली निकालने की उचित व्यवस्था करने में पूर्ण रूप से प्रथम पक्ष के सहयोग से द्वितीय पक्ष मिलकर नाली का कार्य सम्पन्न करेंगे ।

Signature Build Com.

Gautam Singh
Partner
Signature Build Com.
Rajem Kumar Mandal
Partner



मनोज कुमार सिंह
L.T.I. (लक्ष्मी देवी) मेरे मापने दीप
दिवा
मनोज कुमार सिंह

32. यह कि, द्वितीय पक्ष अपने हिस्से के खरीदार के हित में अपने किसी भी फ्लैट को किसी भी बैंक या फाइनेन्सीयल इन्स्टीच्यूशन में बिना सहमति के बंधक रखते हुए कर्ज ले सकता है। वह फ्लैट फाइनेन्सीयल इन्स्टीच्यूशन में सिक्यूरिटी के रूप में रहेगा। इस तरह के कर्ज की पूरी भरपाई खरीदार स्वयं करेंगे। दूसरे शब्दों में इस कर्ज से संबंधित देनदारी, प्रथम पक्ष की नहीं होगी। इस कार्य में प्रथम पक्ष किसी तरह की कोई आपत्ति प्रकट नहीं करेगा।
33. यह कि द्वितीय पक्ष किसी भी निर्माण कार्य का सम्पादन प्रमाणित प्लान एवं नियमानुकूल के तहत करेगा। यह कि भवन में सार्वजनिक स्थान, सीढ़ी, सार्वजनिक पार्किंग का जगह लिफ्ट, पोर्टिको इत्यादि में जो अधिकार डेवलपर या उनके नामि या उत्तराधिकारी का होगा वही अधिकार भूखण्ड मालिक या उनके नामि / उत्तराधिकारी का होगा।
34. यह कि प्रथम पक्ष ने यह विश्वास दिलाया है कि वह इस एग्रीमेंट के पहले किसी भी एग्रीमेंट संबंधित संपत्ति के लिए कभी नहीं किया गया है कथा भविष्य में किसी उनके साथ ऊपर वर्णित अवधि तक भवन निर्माण हेतु कोई इकरारनामा नहीं करेंगे ऐसा करने पर प्रथम पक्ष के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं द्वितीय पक्ष गान पूर्ण मुआवजा का हकदार होगा।
35. यह है कि अगर प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष में से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को पक्ष माना जायेगा।

प्रथम पक्ष को जो भवन द्वितीय पक्ष के द्वारा निर्मित कर 40 प्रतिशत दिया जाएगा, उसमें द्वितीय पक्ष के द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाएगा, जो इस प्रकार है :-

- A. मारबल एवं कोटा स्टोन का कार्य कॉमन पैसेज एवं सीढ़ी पर होगा।
 B. बैडरूम एवं डाईनिंग स्पेस, बालकीनी में टाइल्स गाया जाएगा।
 C. एनटी स्टेटिव टाइल्स बाथरूम में लगाया जाएगा।

Signature Build Com.

Gautam Singh
Partner

Signature Build Com.

Rajesh Kumar Mandal

Partner



मनोज कुमार सिंह

L.T.I. (लक्ष्मि देवी) मेरे सामने दीप दिया

मनोज कुमार सिंह

- D. रसोईघर में सैलेब कर ग्रेनाईड रहेगा ।
 E. किचन में स्टील का सींक लगाया जाएगा ।
 F. दरवाजा पर लकड़ी का चौखठ एवं प्लाई का पल्ला रहेगा ।
 G. बाथरूम में फाईबर का दरवाजा रहेगा ।
 H. खिड़की का अलमूनियम का स्लाईडिंगे शीशा सहित रहेगा ।
 I. बालकोनी एवं खिड़की में लोहे का ग्रील रहेगा ।
 J. बाथरूम एवं किचन में नल रहेगा ।
 K. फ्लैट को अंदर मै पेरिस के बाद प्राईमर रहेगा ।
 L. कॉमन दिवाल तथा पार्किंग में सोनेसम रहेंगा ।
 M. बिडींग के बाहर में बेदरसील का रंग होगा ।
 N. बिजली का प्लाइंट द्वितीय पक्ष के अनुसार पलैट के अंदर रहेगा ।
 O. पार्किंग में 40 प्रतिशत प्रथम पक्ष का हक रहेगा ।
 P. प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को बिजली का कनेक्शन का खर्च पलैट हेण्ड ओभर के वक्त देना होगा ।
36. यह की यदि पारा-6 के अनुसार प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच यह इकरारनामा रद्द होता है तो पारा-1 में वर्णित जमीन पर बने मकान जिसमें की प्रथम पक्ष वर्तमान में रह रहे हैं जिसे तोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा बहुमंजिला इमारत बनाया जाएगा उसका मूल्य ₹40,00,000 (चालीस लाख) बिजली कनेक्शन तथा पानी की बोरिंग व्यवस्था को पुनः बनाने के लिए पूर्ण लागत मुआवजा स्वरूप अलग से द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दिया जाएगा ।
37. यह कि , अगर किसी प्रकार का दोनो पक्षों में विवाद होगा तो दोनो पक्ष अपने-अपने द्वारा समस्या को सुलझायेगे ।

Signature Build Com.

Gautam Singh
Partner

Signature Build Com.

Raem Kumar Mandal
Partner



मनोज कुमार सिंह

L.T.I. (लक्ष्मी देवी) मेरे सामने दीप
दिया

मनोज कुमार सिंह

जमीन का विवरण / एवं चौहद्दी

सम्पत्ति का विवरण :- मौजा- धैया, पुराना खाता नं०- 156, 120,
पुराना प्लॉट - 3808, 3809, 3810, रकबा - 5 कट्ठा जमीन ।

जिसका चौहद्दी :-

पूरब :- चिंता देवी,

पश्चिम :- इसी प्लॉट का अंश,

उत्तर :- रास्ता ,

दक्षिण :- प्लॉट न०- 3801 ,

आज दिनांक-..... को दोनों पक्षों ने गवाहों के समक्ष इस
एकरारनामा को पढ़कर, पढ़ाकर एवं स्वस्थ्य मस्तिष्क से सोच समझकर
बिना किसी के दबाव में आये गवाहों के समक्ष अपना-अपना हस्ताक्षर इस
एकरारनामे पर बनाये जो समय पर काम आवे ।

गवाहों का हस्ताक्षर

1.

2.

3.

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

1.



L.T.I. (लक्ष्मी देवी)

मेरे सामने दीप दिया

मनोज कुमार सिंह

2.

मनोज कुमार सिंह

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

Signature Build Com.

1.

Gautam Singh

Partner

Signature Build Com.

2.

Ram Kumar Mandal

Partner